[श्री स० मो० बनर्जी]

मैं चाहता हूं कि इस बात की जांच की जाये कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया।

जहां तक इमर्जेन्सी का ताल्लुक है, सवाल यह है कि आखिर वह कब तक रहेगी। आज इमर्जेन्सी के नाम पर इस देश में इतनी लूट-खसोट हो रही है कि मैं कहना नहीं चाहता। जवानों को जो रजाइयां जाती हैं, उन में काटन वेस्ट होता है। लोग लाखों रुपये कमाने लग गए हैं। अचानक ही बहुत से ठेकेदार पैदा हो गए हैं। कौन ठेकेदार हैं? इमर्जेन्सी के ठेकेदार हैं? मैं बताना चाहता हूं कि वर्किंग क्लास का एक नारा है कि "संकट-काल का देखो हाल, टाटा बिड़ला मालामाल"। इस इमर्जेन्सी का फौरन खातमा होना चाहिये और यह ज्यादा दिन तक नहीं रहनी [illegible]

आखिर [illegible] कि सरकार महंगाई को [illegible] चाहता हूं [illegible] को बढ़ने से रोके। अगर प्राइस लाइन को होल्ड न किया गया, तो—मैं वित्त मंत्री जी और अपने भाइयों को कोई धमकी नहीं देना चाहता—देश में—एक बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी, जब कि देश में एकीकरण की समस्या है और पाकिस्तान और चीन से खतरा है। आज सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि लोगों को सस्ता गेहूं, और अनाज मिले और फिर लोग महंगाई भत्ता नहीं मांगेंगे। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि लोग फाकाकशी से नहीं मरेंगे। हम ने नेहरू जी को कहा था कि देश की धरती की हिफाजत हम करेंगे, हमारे बाल-बच्चों की हिफाजत आप करें। हम ने देश की हिफाजत की, हम ने अपने बेटों को दिया, रुपया दिया, सोना दिया, लेकिन हर एक बजट में हमारे लिए मुश्किलात पैदा होतीं गई और मुझे डर है कि अगले बजट में भी कहीं ऐसा ही न हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन बातों पर विचार किया जाये, महंगाई को बढ़ने से रोका जाये और चीजों के दाम घटा दिये जायें।

15 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-SECOND REPORT

Shri Hem Raj (Kangra): I beg to move:

"That this House agrees with the Thirty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th February, 1964.".

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Thirty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th February, 1964.".

The motion was adopted.

PROTECTION OF CIRCUS EMPLOYEES BILL*

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): I beg to move for leave to introduce a Bill to protect the Circus employees by bringing them under the operation of the Industrial Disputes Act, 1947 and the Workmen's Compesation Act, 1923 etc.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to protect the Circus employees by bringing them under the operation of the Industrial Disputes Act, 1947 and the Workmen's Compensation Act, 1923 etc."

The motion was adopted.

Shri Nambiar: I introduce the Bill.

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II-Section 2, dated 14-2-64.